न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 91/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/98)

1. भंवरलाल
2. टिकूराम

पुत्रगण मोहनलाल जाति कुम्हार निवासीगण पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजूदेवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी गॉव पातलीसर बड़ा, तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री रोशन अली – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री प्रहलाद जांखड़ – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1

निर्णय **दिनांकः 03.02.2026**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर सरदारशहर के निर्णय दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने सहायक कलक्टर सरदारशहर के प्रकरण संख्या 29/2025 अनवान राजूदेवी बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 05.05.2025 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके खसरा नम्बर 156 तादादी 6.2600 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 138 तादादी 4.4300 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके रोहि ग्राम पातलीसर बड़ा तहसील सरदारशहर मे स्थित है, जिसमें अपीलार्थीगण का ट्यूबवेल बनाया हुआ है तथा मौके पर ढाणी बनाकर मय परिवार के निवास करते

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनाक 05.05.2025 को बिना अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये इनके विरूद्व एक पक्षीय एवं बिना माईण्ड अप्लाई किये नल एण्ड वॉईड आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण अपास्त योग्य है। खसरा नम्बर 156 तादादी 6.2600 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 138 तादादी 4.4300 हैक्टेयर कुल तादादी 11.6900 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 150 तादादी 7.6500 हैक्टेयर है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपनी भूमि की सीमा ज्ञान और पत्थर गढी करवाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तत किया गया जिसमे अपीलान्ट्स को पड़ोसी खातेदारी होने से आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है जो पत्थर गढी के प्रकरण में आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत दावा में कही भी अपीलार्थीगण की भूमि में अपनी भूमि होने का तथ्य या कथन नही किया गया है और ना ही यह कथन किया गया है कि सीमा विवाद किस खातेदार से है बल्कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा खसरा नम्बर 146 कटाणी रास्ता अपने निर्धारित स्थान से नही गुजर कर रेस्पोडेन्ट के खेत से गुजर रहा है, इसलिए दक्षिणी सीमा का सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को किस बात से समाधान हुआ कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 की भूमि दक्षिण सीमा मे ही पैमाईश करवानी लाजमी है जबकि सीमा चिन्ह सम्पूर्ण खाता भूमि का नक्शा के अनुसार किया जाता है ना कि एक दिशा की सीमा का ऐसे में एक ही दक्षिण सीमा का सीमा ज्ञान करवाने का प्रार्थना पत्र कानून के विरूद्व चलने योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य था। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे धारा 111, 113, व 128 के प्रावधानो में पूर्व से कायम सीमा चिन्ह को कायम करना और उन्हे नष्ट होने से दुरूस्त करने का है न कि किसी के उक्त आवेदन पर किसी प्रकार का नया रास्ता कायम करना या किसी खातेदार को किसी अन्य की खातेदारी भूमि पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कब्जा करवाने का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कटाणी रास्ता मेरे खेत में शिप्ट कर मेरे रकबे की भूमि कम कर दी गई है। राजस्व विधि के अनुसार किसी भी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाने का प्रार्थना पत्र में किसी पड़ोसी खातेदार को आवश्यक हितबद्व पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 को अपास्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 150 रकबा 7.6500 हैक्टेयर रोही पातलीसर बड़ा की दक्षिणी सीमा पर पत्थरगढी कराये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमे पटवारी रिपोर्ट आई है। खसरा नं. 146 गै. मु. कटानी रास्ता अपने निर्धारित स्थान से होकर नही गुजर कर मेरे खेत में से होकर गुजरता था। कटानी रास्ता को सही किया है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपनी जमीन की पत्थरगढी करा रहा है उसमे अपीलान्ट को क्या आपत्ति है। अपीलान्ट को अपील पेश करने की LOCUS STANDI नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी अर्थात अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है अथवा नहीं? का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 की भूमि पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सरदारशहर द्वारा उक्त प्रकरण में बिना विस्तृत जांच व अपीलान्ट/हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई के किया गया है, जो न्यायोचित नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर (चूरू) को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष/हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर